<u>सार्वजनिक सूचना</u>

सभी आम व खास को इस इश्तिहार द्वारा सुचित किया जाता है कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी द्वारा निगम क्षेत्र से एक वर्ष के लिए आवारा सुअरों को पकडने हेतू दिनांक 05.07.2017 सायं 3:00 बजे तक ई-टैडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जिसके लिए 500 रू. की निविदा फीस तथा 20 हजार रू. की धरोहर राशि का डी.डी. व ठेके (आवारा सुअरों को पकडने) से सम्बन्धित अन्य कोई भी दस्तावेज दिनांक 05.07.2017 को सायं 2:00 बजे तक निगम कार्यालय मे जमा करवाने होगें। विस्तृत शर्ते निगम की http//etenders.hry.nic.in & mcynr.com वैब साईट पर उपलब्ध हैं।

आयुक्त,
नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी।

विषयः- टैंडर की शर्तो का विवरण।

1. प्रत्येक टैंडर धारक को 20,000 रू. की राशि का डी.डी. टैंडर के साथ देना होगा।
2. ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी परन्तु आयुक्त नगर निगम को समय अवधि कम या अधिक करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. वर्क आर्डर मिलने के 1 सप्ताह के अन्दर-अन्दर नगर निगम से इकरारनामा करना होगा।
4. ठेकेदार आयुक्त नगर निगम की स्वीकृति के बिना ठेका किसी अन्य फर्म को सबलेट नही करेगा।
5. ठेकेदार द्वारा सुअर पकड टीम में कर्मचारियों को वर्दी एवं नगर निगम से स्वीकृत कराकर बैज देने होंगे।
6. सुअरों को पकडने के साधन का प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर वहन करेगा।
7. सुअरों को पकडते वक्त कोई निर्दयता नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा तथा एनीमल बोर्ड आफ इंडिया द्वारा जो पशुओं बारे नियम व बाईलाज बनाया है उनकी ठेकेदार को पालना करनी होगी। उल्लंघना के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
8. ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को वेतन मिनीमम वेज एक्ट 1948 डी.सी. रेट के अर्न्तगत भुगतान करेगा। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को जी भी वेतन दिया जायेगा उसमें निगम की कोई भुमिका नहीं होगी।
9. ठेकेदार द्वारा रखे गए कर्मचारियों की उम्र 21 वर्ष से अधिक होगी।
10. ठेकेदार द्वारा सुअरों को पकडते समय आमजन के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
11. ठेकेदार के पास सुअरों को पकडने के लिए खुद का वाहन और औजार होने चाहिए जिससे कि सुअरों को शारीरिक हानि न हो।
12. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर ठेका रदद कर दिया जायेगा तथा सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली जाऐगी।
13. नगर निगम द्वारा प्रति सुअर की दर से टैंडर रेट देने होंगे। प्रतिदिन पकडे जाने वाले सुअरों से प्राप्त राशि प्रतिदिन निगम कोष में जमा करानी होगी।
14. ठेकेदार द्वारा पकडे गए सुअर नगर निगम की सीमा से बाहर जाकर बेचेगा।
15. सुअर पकडते समय ठेकेदार के कर्मचारी को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा।
16. ठेकेदार द्वारा पकडे गए 1 से 20 किलो तक व 20 किलो से उपर के सुअर के अलग-अलग रेट देने होगें।
17. आयुक्त नगर निगम जब चाहे यह ठेका रदद कर सकते है। इस बारे मे ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा/क्लेम का हक नहीं होगा।
18. ठेकेदार जिस किसी के भी आवार सुअर पकडेगा अगर उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका समाधान ठेकेदार खुद करेगा।
19. आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।